VIII मुद्रा प्रबंध

2014-15 में भी बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में तेजी बनी रही। रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक नोटों की सत्यनिष्ठा में सुधार लाने के लिए सुरक्षा विशेषताओं को और मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाई गई। रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध के आधार का दायरा बढ़ाने के प्रयोजन से बैंकों के साथ करार किया। भारत सरकार के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक ने मुद्रा के स्वदेशीकरण की दिशा में प्रयास किया।

VIII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना और इसकी धारा 22 में रिज़र्व बैंक के प्रमुख सांविधिक कार्य के संबंध में जिस प्रकार की अपेक्षा की गई है, उसके अनुक्रम में 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा प्रबंध कार्य के लिए अपनायी गई पद्धति यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी कि जनता को व्यापार के लिए उचित रूप से आवश्यक विभिन्न मूल्यवर्ग के साफ-सुथरे बैंक नोटों और सिक्कों की आपूर्ति पूरी हो सके और बैंक नोटों एवं सिक्कों का निर्माण, संग्रहण तथा वितरण और गंदे एवं कटे-फटे नोटों एवं अप्रचलित सिक्कों को नष्ट करना सुनिश्चित हो।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

VIII.2 प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान के गैर-नगदी माध्यमों के प्रयोग के बाद भी 2014-15 में बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में वृद्धि हुई।

परिचालनगत बैंक नोट

VIII.3 पिछले वर्ष की तुलना में परिचालनगत बैंक नोटों के मूल्य में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च 2015 के अंत में यह बढ़कर ₹ 14,289 बिलियन हो गया। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान परिचालनगत बैंक नोटों की मात्रा में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 83.6 बिलियन नग हो गई। मार्च 2015 के अंत में परिचालनगत बैंक नोटों के कुल मूल्य में 85 प्रतिशत ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के नोट थे। मार्च 2015 के अंत में परिचालनगत बैंक नोट की मात्रा में 54 प्रतिशत ₹10 और ₹100 मूल्यवर्ग के नोट थे। (सारणी VIII.1).

परिचलानगत सिक्के

VIII.4 2014-15 में परिचालनगत सिक्कों की मांग में निरंतर वृद्धि देखी गई। परिचालनगत सिक्कों के कुल मूल्य में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किंतु मात्रा की दृष्टि से यह वृद्धि 8.0 प्रतिशत रही। (सारणी VIII.2).

सारणी VIII.1: परिचालनगत बैंक नोट

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015
1	2	3	4	5	6	7
2 एवं 5	11,624	11,698	11,672	46	46	46
	(15.8)	(15.1)	(13.9)	(0.4)	(0.4)	(0.3)
10	25,168	26,648	30,304	252	266	303
	(34.2)	(34.5)	(36.3)	(2.2)	(2.1)	(2.1)
20	3,825	4,285	4,350	77	86	87
	(5.2)	(5.5)	(5.2)	(0.6)	(0.7)	(0.6)
50	3,461	3,448	3,487	173	172	174
	(4.7)	(4.5)	(4.2)	(1.5)	(1.3)	(1.2)
100	14,421	14,765	15,026	1,442	1,476	1,503
	(19.6)	(19.1)	(18.0)	(12.4)	(11.5)	(10.5)
500	10,719	11,405	13,128	5,359	5,702	6,564
	(14.6)	(14.7)	(15.7)	(46.0)	(44.4)	(46.0)
1,000	4,299	5,081	5,612	4,299	5,081	5,612
	(5.9)	(6.6)	(6.7)	(36.9)	(39.6)	(39.3)
कुल	**73,517**	**77,330**	**83,579**	**11,648**	**12,829**	**14,289**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल मात्रा/मूल्य में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

सिक्कों की बढ़ी हुई मांग और आपूर्ति बढ़ाने के उपाय

VIII.5 हाल के वर्षों में, आपूर्ति की तुलना में सिक्कों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण रहा - देश में चल रहे कई टॉल प्लाजा, बस/ऑटो/ट्रेन/टैक्सी के किरायों की संरचना

सारणी VIII.2: परिचालनगत सिक्के

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788	14,788	14,788	7	7	7
	(17.4)	(16.1)	(14.9)	(4.6)	(4.1)	(3.6)
₹1	35,884	38,424	41,627	36	38	42
	(42.4)	(41.9)	(42.1)	(23.5)	(21.9)	(21.7)
₹2	22,113	24,823	27,038	44	50	54
	(26.1)	(27.1)	(27.3)	(28.8)	(28.9)	(27.8)
₹5	10,675	11,577	12,761	53	58	64
	(12.6)	(12.7)	(12.9)	(34.6)	(33.5)	(33.0)
₹10	1,267	2,017	2,750	13	20	27
	(1.5)	(2.2)	(2.8)	(8.5)	(11.6)	(13.9)
कुल	**84,727**	**91,629**	**98,964**	**153**	**173**	**194**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

और विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शीघ्र खपत होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) के छोटे-छोटे रूप में बढ़ते प्रयोग के मद्देनजर ग्रामीण और शहरी गरीबों की संपन्नता में हुई वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिक्कों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन सारणी VIII.3 में दी गई है।

VIII.6 बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की टकसालों से सिक्कों की आपूर्त्ति बढ़ाने को कहा तथा वितरण को आगे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त कदम उठाए हैं:

(i) दुकानदारों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों, टॉलगेट एजेंसियों, आदि को सिक्कों की उनकी जरूरतों के लिए निकटतम करेंसी चेस्ट के साथ जोड़ा गया;

सारणी VIII.3: सिक्कों की मांग और आपूर्ति

(मिलियन नग)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
1	2	3
2012-13	9,554	6,878
2013-14	12,033	7,677
2014-15	13,840	7,907

(ii) बैंकों को सूचित किया गया कि वे सिक्का मेलों का आयोजन करें ताकि लोगों को सीधे ही सिक्के प्राप्त हो सकें;

(iii) बड़ी तादाद में सिक्कों का उपयोग करने वालों जैसेकि बड़े खुदरा व्यापारी और टॉल प्लाजा को सूचित किया गया कि वे बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल/कार्ड/ई-टोकन का प्रयोग बढ़ाएं ताकि सिक्कों पर उनकी निर्भरता कम हो सके और;

(iv) बैंकों को क्वाइन वेंडिंग मशीन (सीवीएम) और ऐसी मशीनें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो लोगों को नगदी संबंधित सेवा प्रदान कर सके।

VIII.7 रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि टकसालों में उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने तक अल्पावधि उपाय के रूप में सिक्कों के आयात की अनुमति दी जाए; सिक्का ढलाई अधिनियम, 2011 के अनुसार निजी पार्टियों द्वारा सिक्कों को ढालने की अनुमति दी जाए; और मध्यम अवधि के उपाय के रूप में टकसालों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए/नए टकसाल स्थापित किए जाएं। रिज़र्व बैंक इन उपायों पर भी कार्य रहा है कि जनता को सिक्कों को फिर से संचलन में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मुद्रा प्रबंध की मूलभूत संरचना

VIII.8 मुद्रा प्रबंध की मूलभूत संरचना में 19 निर्गम कार्यालय, 4,132 करेंसी चेस्ट (उप राजकोष कार्यालयों और कोच्चि में रिज़र्व के करेंसी चेस्ट सहित) और देश भर में वाणिज्यिक, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के फैले हुए छोटे सिक्कों के 3,813 डिपो शामिल हैं (सारणी VIII.4)। वर्ष के दौरान करेंसी चेस्ट खोलने के लिए कई स्तरों पर अनुमोदन लेने के स्थान पर एकल स्तरीय अनुमोदन प्रणाली की शुरुआत के साथ इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

लीड बैंक योजना

VIII.9 2013 में प्रायोगिक आधार पर मुद्रा प्रबंध के लिए लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जिले की पहचान करके उसमें एक अग्रणी बैंक निर्धारित किया गया और इसके परिणामस्वरूप लीड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उस क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो से समन्वय करके वह यह सुनिश्चित करे कि लोगों की साफ-सुथरे नोटों और

सारणी VIII.4: मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2,033	1,930
एसबीआई एसोसिएट बैंक	763	733
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,162	987
निजी क्षेत्र के बैंक	153	149
सहकारी बैंक	4	4
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5
राज्य राजकोष कार्यालय (एसटीओ)	7	0
भारिबैं	1	1
कुल	**4,132**	**3,813**

सिक्कों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी हों। लीड बैंक मुद्रा प्रबंध के लिए एक नोडल बैंक (बीसीएम) के रूप में कार्य करते हुए इन मुद्दों पर ध्यान देगा, जैसेकि गैर-करेंसी चेस्ट शाखाओं को करेंसी चेस्ट के साथ जोड़ना, उस क्षेत्र में बैंक शाखाओं से बैंक नोटों और सिक्कों की आपूर्ति एवं निर्गम की सुविधा मुहैया कराना, डायवर्जन अनुरोध को तुरंत भेजना और जनता की शिकायतों का निपटान करना। नोडल बीसीएम असली नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और कटे-फटे नोटों को बदलने पर जागरुकता बढ़ाने/साक्षरता अभियान चलाने से संबंधित कार्य करती है। एक वर्ष के परिचालन के बाद, इस योजना की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 2014-15 में इसे जारी रखा जाए और 2015-16 में इसे जारी रखना समीक्षाधीन है।

स्वच्छ नोट नीति

बैंक नोटों और सिक्कों की मांग का आकलन और आपूर्ति

VIII.10 मुद्रा की मांग का आकलन करने के लिए अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक जीडीपी में वृद्धि की संभावनाएं, मुद्रास्फीति की दर और मूल्यवर्ग-वार गंदे नोटों को नष्ट करने की दर शामिल हैं। तदनुसार, बैंक नोटों की कुल आपूर्ति 2014-15 में बढ़ाकर 23.7 बिलियन नग कर दी गई, जबकि 2013-14 में यह 20.9 बिलियन नग थी

सारणी VIII.5: बैंक नोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल तथा एसपीएमसीआईएल द्वारा रिज़र्व बैंक को आपूर्ति

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (मिलियन नग)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6
5	0	0	0	0	0
10	12,164	9,467	6,000	9,417	4,000
20	1,203	935	4,000	1,086	5,000
50	994	1,174	2,100	1,615	2,050
100	5,187	5,131	5,200	5,464	5,350
500	4,839	3,393	5,400	5,018	5,600
1,000	975	818	1,500	1,052	1,900
कुल	**25,362**	**20,918**	**24,200***	**23,652**	**23,900**

*: वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में प्रकाशित आंकड़े बाद में संशोधित किए गए।
बीआरबीएनएमपीएलः भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एसपीएमसीआईएल : भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिडेट

(13.1 प्रतिशत की वृद्धि) (सारणी VIII.5)। सिक्कों की आपूर्ति में भी 2013-14 के 11.6 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (सारणी VIII.6)

गंदे बैंक नोटों को नष्ट करना

VIII.11 2014-15 के दौरान, लगभग 15.1 बिलियन नग गंदे बैंक नोट नष्ट किए गए जबकि लक्ष्य 17.1 बिलियन का था और 2013-14 के दौरान 14.2 बिलियन नग नष्ट किए गए।

सारणी VIII.6: सिक्कों की मांग और एसपीएमसीआईएल द्वारा रिज़र्व बैंक को आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6
50 पैसे	50	40	40	20	40
₹1	5,418	3,092	6,000	3,247**	6,100
₹2	3,546	2,424	4,000	2,367	4,000
₹5	1,819	1,393	2,000	1,091	2,100
₹10	1,200	728	1,800	1,187	2,000
कुल	**12,033**	**7,677**	**13,840***	**7,912****	**14,240**

* : वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में प्रकाशित आंकड़े बाद में संशोधित किए गए।
** : ₹ 1 करेंसी नोटों की 5 मिलियन नग शामिल हैं।

सारणी VIII.7: पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या अप्रैल से मार्च

(नगों की संख्या)

वर्ष	पता लागया गया भारिबैं में	अन्य बैंकों में	कुल
1	2	3	4
2013-14	19,827	468,446	488,273
	(4.1)	(95.9)	(100.0)
2014-15	26,128	568,318	594,446
	(4.4)	(95.6)	(100.0)

नोट: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

जाली नोट

VIII.12 वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली में 594,446 नग जाली नोटों का पता लगाया गया, जिनमें से 95.6 प्रतिशत का पता वाणिज्य बैंकों ने लगाया, जबकि 4.4 प्रतिशत का पता रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में हुआ (सारणी VIII.7)। 2014-15 के दौरान, पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या में ₹2 और ₹5 को छोड़कर सभी मूल्यवर्ग के नोटों में वृद्धि हुई (सारणी VIII.8)।

VIII.13 इस अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुक्रम में कि अलग-अलग श्रृंखला के बैंक नोट एक-साथ परिचालन में नहीं होने चाहिए, 2005 से पहले के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 2014 में शुरू की गई। हालांकि 2005 से पहले के इन अधिकांश नोटों को बैंक शाखाओं के जरिए परिचालन से वापस ले लिया गया है, यह निर्णय लिया गया कि वापस लेने की तारीख को 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ाया जाए ताकि बचे 2005 से पहले के पुराने डिजाइन के बैंक नोट वापस लिए जा सकें और जनता को कम-से-कम असुविधा हो।

प्रतिभूति मुद्रण और वितरण पर खर्च

VIII.14 देश भर में नोटों का वितरण तेजी से करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक ऐसी योजना को लागू करते आया है जिसके तहत नोट मुद्रण प्रेस से करेंसी चेस्ट को सीधे ही बैंक नोटों का प्रेषण हो सके और बार-बार की जाने वाली लॉजिस्टिक एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं से बचा जा सके। 2014-15 (जुलाई-जून) के दौरान, प्रतिभूति मुद्रण में कुल ₹37.6 बिलियन खर्च हुआ, जबकि 2013-14 में ₹32.1 बिलियन खर्च हुआ। यह वृद्धि मुख्य रूप से इस कारण से हुई थी कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक बैंक नोटों की आपूर्ति हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके मुद्रा को देश में ही प्रिंट करने (बॉक्स VIII.1), बैंक

सारणी VIII.8: परिचालनगत नोटों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में मूल्यवर्ग-वार पता लगाए गए जाली नोट (नगों में)
(अप्रैल से मार्च)

मूल्यवर्ग (₹)	2013-14			2014-15		
	जाली नोटों की संख्या	परिचालनगत नोट	एनआईसी के अनुपात में एफआईसीएन	जाली नोटों की संख्या	परिचालनगत नोट	एनआईसी के अनुपात में एफआईसीएन
1	2	3	4	5	6	7
2 and 5	1	11,698,000,000	0.00000000	0	11,672,000,000	0.00000000
10	157	26,648,000,000	0.00000001	268	30,304,000,000	0.00000001
20	87	4,285,000,000	0.00000002	106	4,350,000,000	0.00000002
50	6,851	3,448,000,000	0.00000199	7,160	3,487,000,000	0.00000205
100	118,873	14,765,000,000	0.00000805	181,799	15,026,000,000	0.0000121
500	252,269	11,405,000,000	0.00002212	273,923	13,128,000,000	0.00002087
1000	110,035	5,081,000,000	0.00002166	131,190	5,612,000,000	0.00002338
कुल	**488,273**	**77,330,000,000**	**0.00000631**	**594,446**	**83,579,000,000**	**0.00000711**

एफआईसीएन: जाली भारतीय करेंसी नोट। एनआईसी: परिचालनगत नोट।
नोट: इसमें पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

बॉक्स VIII.1:
मुद्रा मुद्रण के स्वदेशीकरण के प्रयास

चीन के बाद केवल भारत करेंसी नोटों का सबसे बड़ा निर्माता एवं उपभोक्ता है। मार्च 2015 के अंत में ₹14.3 ट्रिलियन बैंक नोट (मूल्य की दृष्टि से) परिचालन में थे और इसके साथ ही भुगतान के लिए करेंसी ही प्रभावशाली माध्यम बनी हुई है।

1980 के दशक में अंत तक, करेंसी नोटों की निरंतर बढ़ती मांग सरकारी नोट प्रेस (नासिक और देवास) की क्षमता से अधिक हो गई। रिज़र्व बैंक ने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के माध्यम से 1996 में मैसूर और साल्बनी में दो करेंसी प्रेस की स्थापना की, उदाहरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) और 1999 तक देश को करेंसी नोट मुद्रण के मामले में आत्म-निर्भर बनाया। वर्तमान में, भारत में परिचालित 40 प्रतिशत से अधिक करेंसी नोट सरकार के प्रेस द्वारा मुद्रित किए जाते हैं, जबकि बाकि बचे 60 प्रतिशत रिज़र्व बैंक के करेंसी प्रेस से निकलते हैं। तथापि, करेंसी मुद्रण हेतु आवश्यक प्रमुख अवयवों के लिए रिज़र्व बैंक मोटे तौर पर आयात पर निर्भर है। स्याही के मामले में, भारत में ऑफसेट और इन्टैग्लियो स्याही का उत्पादन होता है, जबकि ऑप्टिकली वेरिएबल इंक का आयात किया जाता है। बैंक नोटों की मौजूदा श्रृंखला में प्रयोग होने वाली कुछ सुरक्षा विशेषताएं जैसेकि सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का भी आयात किया जाता है। जहां तक बैंक नोटों में प्रयोग होने वाले पेपर का संबंध है, करेंसी नोट मुद्रण के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक पेपर का केवल 5 प्रतिशत ही भारत में उत्पादित होता है और बाकि के लिए आयात की आवश्यकता होती है। आयात पर निर्भरता के कारण लागत, गुणवत्ता और सामयिकता के लिहाज से करेंसी मुद्रण की प्रक्रिया असुरक्षित हो जाती है।

रिज़र्व बैंक ने देश में ही करेंसी नोट का मुद्रण करने से जुड़े फायदे जैसेकि सुनिश्चित, सुगम एवं समय पर आपूर्ति, लागत में किफायत (आयात बिल में कमी के द्वारा), रोजगार सृजन और जालसाजी को रोकने में प्रभावी रोक को देखते हुए एक बहु-स्तरीय रणनीति की शुरुआत की है। स्वदेशीकरण की गति को बढ़ाने के लिए, मैसूर में 12,000 एमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक पेपर मिल स्थापित की जा रही है जोकि करेंसी मुद्रण के लिए पेपर की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा करेगा। रिज़र्व बैंक बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में घरेलू स्तर पर योग्यता को विकसित करने के क्षेत्र में भी प्रयास कर रहा है। सुरक्षा विशेषाताओं के स्वदेशीकरण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के प्रयोजन से, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष:श्री आर गांधी) गठित की है जो ऐसी एजेंसियों/संस्थानों की पहचान करेगा जिन्हें अगले कुछ वर्षों में स्वदेशी सुरक्षा विशेषताएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

नोटों का जीवनकाल बढ़ाने और सिक्कों की बनावट एवं आकार से जुड़े मुद्दों का हल निकालने की दिशा में सम्मिलित प्रयास किया।

मुद्रा प्रबंध विभाग

VIII.15 मुद्रा प्रबंध के मामले में, मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम) देश भर में विभिन्न मूल्यवर्ग के साफ-सुथरे बैंक नोटों और अच्छे सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में बाधा-रहित आपूर्ति और परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक के लिए तय किए गए लक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हैं- प्लास्टिक बैंक नोटों का फील्ड परीक्षण, बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशना, स्टोरेज, परिवहन, वितरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन का प्रयोग करना; प्रायोगिक आधार पर पूरी तरह स्वचालित नगद प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना, जाली नोटों से पार पाने के लिए करेंसी नोट मुद्रण प्रौद्योगिकी के नवीनतम खोजों का प्रयोग करते हुए बैंक नोटों की नई श्रृंखला की शुरूआत करना, सिक्कों को प्रयोक्ता अनुकूल बनाने और अधिक समय तक चलने के लिए उन्हें फिर से डिजाइन करना और बैंक नोटों की पैकिंग में सुधार लाना ताकि उनकी हैंडलिंग में सुविधा हो और उनके परिचानल की प्रक्रिया को और अधिक श्रम-अनुकूल बनाया जा सके।

2014 -15 के लिए एजेंडा: कार्यान्वयन की स्थिति

प्लास्टिक बैंक नोटों का फील्ड परीक्षण

VIII.16 ₹10 के मूल्यवर्ग में प्लास्टिक के भारतीय बैंक नोटों की आपूर्ति के प्रस्ताव का अनुरोध किया गया था और इसका तकनीकी मूल्यांकन किया गया। तथापि, इसमें कुछ तकनीकी कमजोरियां सामने आईं और इस प्रक्रिया को आगे और नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए विकल्पों की तलाश

VIII.17 बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के प्रयोजन से किए जाने वाले उपायों का मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें हितधारकों और अनुसंधान संस्थाओं को शामिल किया गया है। इस विषय पर एक अध्ययन को हाथ में लिया गया है और 2015-16 में इसके पूरा होने की संभावना है।

पूरी तरह से स्वचालित नगद प्रसंस्करण केंद्र

VIII.18 यह महसूस किया गया कि हब एंड स्पोक मॉडल से दक्षता और बढ़ेगी। तदनुसार, वाणिज्य बैंकों को ऐसे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और दो बैंकों ने सीपीसी की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है।

जालसाजों से आगे बने रहना

VIII.19 वर्ष के दौरान ₹100 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में एक नई संख्यांकन पद्धति की शुरुआत की गई। अन्य सभी मूल्यवर्ग में चरणबद्ध तरीक से नई संख्यांकन पद्धति शुरू की जाएगी। सुरक्षा विशेषताओं की आपूर्ति के लिए एक पूर्व अर्हता वैश्विक बोली के माध्यम से जून 2015 में, नई सुरक्षा विशेषताओं के शुरुआत की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

सिक्कों की पुनः डिजाइनिंग और बैंक नोटों की पैकिंग में सुधार

VIII.20 भारत सरकार ने सिक्कों की बनावट और आकार पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति से रिज़र्व बैंक भी जुड़ेगा। हितधारकों के साथ परामर्श करके यह निर्णय गया कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) समझौता 127 और सिफारिश 128 (जिसमें किसी वयस्क कामगार द्वारा उठाया जाने वाला भार 55 किग्रा से अधिक न हो) के अनुरूप, बैंक नोटों की पैकिंग के लिए नालीदार फाइबर बॉक्स की शुरुआत की जाए। वर्तमान में प्रयोग में लाए जाने वाले लकड़ी के बॉक्सों की तुलना में इस प्रकार के बॉक्स अधिक पर्यावरण अनुकूल होंगे। दो प्रिंटिंग प्रेस ने नए नालीदर फाइबर बॉक्सों में बैंक नोटों की आपूर्ति शुरू कर दी है।

2015-16 के लिए एजेंडा

VIII.21 रिज़र्व बैंक ने 2014-15 में नई श्रृंखला के बैंक नोट, नई संख्यांकन पद्धति, अक्षम लोगों के लिए ब्रेल जैसे साइन और स्वच्छ नोट नीति के क्षेत्र में शुरू की गई गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए 2015-16 के दौरान निम्नलिखित पहल करने की योजना बनाई है। बैंक नोटों के जीवनकाल को बढ़ाने की दिशा में प्लास्टिक बैंक नोटों की विशेषताएं विकसित करने के प्रयोजन से टेंडर पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक नोटों के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों को तलाशने की पहल की जाएगी।

ग्राहक सेवा

VIII.22 बैंकों द्वारा बैंक नोटों और सिक्कों से संबंधित सेवाएं मुहैया कराने के संबंध में प्रोत्साहन और दंड योजना को तर्कसंगत किया जाएगा। लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए वैकल्पिक उपायों के प्रोत्साहन से बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण नेटवर्क मजबूत किए जाएंगे। इसके अलावा, नोट वापसी नियम, जिसकी पिछली समीक्षा 2009 में की गई थी, उस पर आगे और सुधार करने पर विचार किया जाएगा। रिज़र्व बैंक भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के स्वदेशीकरण के अपने मध्यम/लंबी अवधि के लक्ष्य को जारी रखेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनपीएमएल)

VIII.23 बैंक नोटों का उत्पादन बढ़ाने और देश में बैंक नोटों की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक द्वारा 03 फरवरी 1995 को बीआरबीएनएमपीएल की स्थापना की गई थी जो पूरी तरह से रिज़र्व बैंक की स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। कंपनी के दो प्रेस, एक कनार्टक के मैसूर में और दूसरा पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में है।

VIII.24 बीआरबीएनएमपीएल में बैंक नोटों की वार्षिक आवश्यकता का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है और मार्च 2015 के अंत तक यह रिज़र्व बैंक को 15,515.88 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति कर चुका है। 2014-15 के दौरान इसका कर पश्चात् शुद्ध मुनाफा ₹1.38 बिलियन रहा, जबकि पिछले वर्ष इसका कर पश्चात् शुद्ध मुनाफा ₹1.33 बिलियन था।

VIII.25 कंपनी अपनी उत्पादकता और परिचालनगत दक्षता को अनुसंधान, विकास गतिविधियों और प्रक्रिया नवोन्मेषण के जरिए लगातार बढ़ा रही है। कंपनी ने गुणवत्ता का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने मैसूर और साल्बोनी स्थित प्रयोगशालाओं में जांच और अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की हैं। इन प्रगोयशालाओं में वर्तमान में बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने, बैंक नोटों के लिए मूलभूत आधार

के चयन और उनका मूल्यांकन करने, विभिन्न वस्तुओं तथा उनकी विशेषताओं की तुलना करने और सुरक्षा विशेषताओं का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

VIII.26 12,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की स्थापना मैसूर में अक्तूबर 2010 में की गई थी और इसकी स्थापना भारत सरकार की स्वामित्व वाली एसपीएमसीआईएल और रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी बीआरबीएनएमपीएल के बीच एक समान हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। तथापि, संबंधित एजेंसियों से प्राप्त होने वाले अनुमोदन और प्रक्रिया में समस्या के कारण इस सुविधा का परिचालन अवरुद्ध हो गया। इसके 2015-16 से उत्पादन शुरू करने की संभावना है। आशा है कि इस सुविधा से बैंक नोटों के पेपर के आयात में उल्लेखनीय कमी आएगी और विनिर्माण में इससे आत्मनिर्भरता में आएगी।